कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान,सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– 1547/प्राविधिक/परावर्ती टेप/2015 दिनांकः 12 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 104 के उप नियंम (1) के परन्तुक के अनुसार परावर्ती टेप लगाये जाने के सम्बन्ध में।

रिट याचिका संख्या–295/2012, एस0राजसीकरन बनाम भारत संघ एवं अन्य मेंमा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सडक सुरक्षा की दृष्टि से मोटरयान अधिनियम 1988 एवं तत्सम्बन्धी नियमों को कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। मोटरयान दुर्घटनाओं के अन्य कारणों के साथ–साथ एक कारण रात्रि के समय वाहनों में निर्धारित मानकों के परावर्ती टेप न होना भी है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 104 में व्यापक संशोधन किया गया है। अधिसूचना संख्या–जी0एस0आर0 784 (ई) दिनांक 12.11.2008 के अनुसार समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक व डिजाइन के परावर्ती टेप लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–जी0एस0आर0 784(ई) दिनांक 12.11.2008 के द्वारा उक्त नियम 104 के उप नियम (1) के परन्तुक में विभिन्न वर्ग के मोटर यानों पर विभिन्न आकार व चौडाई के सफेद, लाल व पीले निर्धारित मानको के परावर्ती टेप चिपकाए जाने के नियमानुसार प्राविधान किए गए है–

1. .उपरोक्त निर्देशों के क्रम में परिवहन यानो की पंजीयन, फिटनैस प्रमाण पत्र जारी / नवीनीकरण के समय परावर्ती टेप लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2. 3.5 टन से ऊपर और 7.5 टन से कम के सकलयान (जी0वी0डब्लू0) भार वाहनो पर सामने की और एक सफेद परावर्ती टेप और पीछे की ओर लाल परावर्ती टेप वाहन की सम्पूर्ण चौडाई पर लगायी जायेगी। टेप की चौडाई 20 मी0मी0 से कम नही होगी तथा AIS:090-2005 उपबंध 4,5,6 के अपेक्षा के अनुरुप होगे।

3. 7.5 टन सहित और उसके ऊपर सकलयान भार के प्रवर्ग एन 3 और पवर्ग एन 2 के यानों पर लाल परावर्ती टेप बॉडी की चौड़ाई के आरपार सामने चिपकायी जाएगी। सामने चिपकायी गयी टेप 50 मि0मी0 चौड़ाई से कम की नही होगी । AIS:090-2005 के उपबंध 4,5,6 के अपेक्षा के अनुरूप होगें ।

other sec

कार्यालय कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
दूरभाषः 0135–2608105, 2608106, फैक्सः 2608108 ई–मेलःtransportdeptuk@gmail.com

4. ट्रेलरो/ अर्द्धट्रेलरो सहित प्रवर्ग एन 3 तथा ट्रेलरो/ अर्द्धट्रेलरो सहित 7.5 टन सहित और उस के ऊपर के सकलयान भार वाले प्रवर्ग एन 2 के यानों पर पीछे की ओर लाल परावर्ती टेप और साईड में पीली परावर्ती टेप कैन्टूर चिन्हांकन AIS:090-2005 (Annexure 7, Appendix 2) के अनुसार चिपकाये जायेगें।
5. प्रवर्ग एम–2 और एम–3 के यानों पर सामने सफेद परावर्ती टेप और पीछे में लाल परावर्ती टेप बॉडी के चौडाई के अनुसार आर – पार चिपकायी जोयगी। एम–3 प्रवर्ग यानों के बॉडी के साईड में पीली परावर्ती टेप सम्पूर्ण लम्बाई पर चिपकायी जायेगी। इस प्रकार चिपकायी गयी टेप की चौडाई 50 मि0मि0 से कम नही होगी तथा AIS:090-2005 के उपबन्ध 4,5,6 के अपेक्षा के अनुरूप होगें।

6. उपरोक्त वर्णित प्रकार से लगायी जाने वाली परावर्ती टेप नियम 104 के उपनियम (1)(2)(3) (4), (5) मे वर्णित वाहनों पर लगाये गये रिफलैक्टर के अतिरिक्त होगें।

7. वहानों पर लगाये जाने वाले सभी टेप AIS:090-2005 के उपबन्ध 4,5,6 के अपेक्षा के अनुरूप मानक के होगे और केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 126 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट संस्थाओं में से किसी संस्था द्वारा अधिकृत निर्माताओं द्वारा निर्मित होगें।

अतः केन्द्रीय मोटरयान नियमवाली 1989 के नियम 104 के उपनियम (1) के प्रावधानां के अनुपालनार्थ समस्त अधिकारियों को निम्मनानुसार निर्देश दिये जाते है:–

8. परावर्ती टेप AIS:090-2005 मानक की लगायी जायेगी।

9. प्रत्येक परावर्ती टेप निर्माता कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में टेप विक्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने विषय आवेदन पत्र परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निर्माता द्वारा निम्नवत् प्रपत्र संलग्न किये जायेगें:–

क. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 126 विनिर्दिष्ट जॉच संस्थाओं मे से किसी संस्था द्वारा जारी टाईप एप्रूवल प्रमाण –पत्र एवं सी0.ओ.पी0 प्रमाण पत्र ।

ख. निम्नलिखित विशिष्टताओं के सम्बन्ध में निर्गत प्रमाण पत्र की प्रतिः–

a) General Specification (Clause 7) AIS:090-2005
b) Specification of marking dimensions Annexure 5
c) Resistance to heat , Annexure -8 clause 4
d) Colour Test

other sec

कार्यालय कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
दूरभाष 0135–2608105, 2608106, फैक्सः 2608108 ई–मेलःtransportdeptuk@gmail.com

    i) Colour test of Reflective device by CIE Standard Illuminate – D_{65}, Annexure -6 Clause 2
    ii) Colour test of Reflective device by CIE Standard Illuminate – A, Annexure -6 Clause 3

e) Photometric Specification (Annexure 7)

f) Resistance to External Agents (Annexure 8 clause 1)
    i) Visual appearance after exposure to external agents
    ii) Colour test of Reflective device by CIE Standard Illuminate – D_{65}, Annexure -6 Clause 2
    iii) Colour test of Reflective device by CIE Standard Illuminate – D_A, Annexure -6 Clause 3
    iv) Photometric specification after resistance to weathering test

g) Resistance to corrosion
    i) Visual appearance
    ii) Photometric specification after corrosion test

h) Resistance to fuels (Annexure 8, clause 3)

i) Resistance to heat (Annexure 8, Clause 4)

j) Resistance to cleaning (Annexure 8, Clause 5)

k) Resistance to penetration of water (Annexure 8, Clause 7)

10. निर्माता कम्पनी का आर्टीकल ऑफ मैमोरैन्डम, कम्पनी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति ।

11. राज्य मे नामित किये गये अधिकृत डीलर का प्रमाण पत्र एवं डिलरों की सूची यदि आवेदन के समय तक डीलरशिप आवटित नही की गयी तो कम्पनी द्वारा इस प्रकार की डीलरशिप आवटित किया जाना अनिवार्य होगा और इस आश्य का लिखित शपथ पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

12. प्रस्तुत आवेदन पत्र पर परिवहन आयुक्त स्वीकृति के पश्चात उत्तराखण्ड राज्य में परावर्ती टेप निर्माता को राज्य में वाहनों मे टेप लगाये जाने हेतु पंजीकरण / अनुमोदन प्रदान किया जा सकेगा। उक्त पंजीकरण अनुमोदन की वैद्यता प्रोटोटाईप एजेंसी द्वारा टाईप एप्रूवल प्रमाण –पत्र जारी करने की तिथि से दो वर्ष अथवा सी0ओ0पी0 प्रमाण पत्र की वैद्य होगी।

13. जो भी अधिकृत वितरक/डीलर टेप को लगायेगा उसका व्यापर कर विभाग मे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। सम्बन्धित अधिकारी समय– समय पर इसे सुनिशिचत करेगें।

14. पंजीकरण /अनुमोदन निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन जारी किया जायेगाः–

other sec

क. समस्त वाहनों पर मोटर एवं नियमावली 1989 के नियम 104 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानक AIS:090-2005 के अनुरूप परावर्ती टेप लगायी जायेगी।

ख. निर्माता कम्पनी द्वारा नियुक्त किये गये डीलर/ वितरक की सूचना सम्बन्धित क्षेत्र के संभागीय /उप संभागीय परिवहन अधिकारी के साथ–साथ परिवहन आयुक्त को भी उपलब्ध करायी जायेगी। नियुक्त किये गये डीलर को परावर्ती टेप की गुणवत्ता , डिजाईन एवं अन्य तकनिकी प्रशिक्षण सम्बन्धित कम्पनी द्वारा प्रदान किया जायेगा।

ग. वहानो पर लगायी गयी परावर्ती टेप पर निर्धारित मानको के अनुरूप है , इस हेतु निर्माता कम्पनी अथवा उसके अधिकृत डीलर द्वारा प्रत्येक वाहन हेतु फिटमैन्ट प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

घ. फिटमैन्ट प्रमाणपत्र ,जिस पर क्रंमाक अंकित हो एवं कम्पनी के होलोग्राम सहित प्रत्येक वाहन हेतु जारी किया जायेगा जिसमें वाहन का पंजीयन क्रमांक, प्रकार , चैसेज नं0 , ईजन नं0 आदि प्रविष्टिया सुपाठ्य अक्षरो/ अंको में उल्लिखित की जायेगी। इसके साथ ही प्रमाण पत्र में वाहन पर लगायी गयी टेप की लम्बाई चौडाई एवं रंग आदि का सम्पूर्ण विवरण अकिंत किया जायेगा। इस आश्यक का कम्प्यूटराईज रिकार्ड भी कम्पनी द्वारा रखा जायेगा, जिसका किसी भी समय निरीक्षण परिवहन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

ङ. फिटमैन्ट प्रमाण पत्र की तीन प्रतियॉ तैयार की जायेगी जिसकी प्रथम प्रति सम्बंधित परिवहन कार्यालाय हेतु, द्वितिय प्रति वाहन के साथ एवं तृतीय प्रति डीलर /वितरक के कार्यालय में रखी जायगी। फिटनेस प्रमाण पत्र पर वितरक/ डीलर का नाम, स्टैम्प हस्ताक्षर सहित किया जाना अनिवार्य होगा।

च. उपरोक्त निर्देशों के क्रम में परिवहन यानो की पंजीयन, फिटनैस प्रमाण पत्र जारी / नवीनीकरण के समय परावर्ती टेप लगाया जाना सुनिश्चिन किया जाये। यदि किसी परिवहन यान का पजियन, फिटनस प्रमाण पत्र / नवीनीकरण बिना परावर्ती टेप लगाये जारी किया जायेगा तो सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी/ फिटनैस प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्व कठोर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

छ. परावर्ती टेप का सत्यापन मुख्यालय से टीम भेजकर समय–समय पर कराया जायेगा।

ज. सभी परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/संभागीय परिवहन अधिकारी अपने भ्रमण के समय रेण्डम रूप से परावर्ती टेप लगाये जाने की जांच करना सुनिश्चित करेगें।

other sec

कार्यालय कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
दूरभाषः 0135–2608105, 2608106, फैक्सः 2608108 ई–मेलःtransportdeptuk@gmail.com

झ परावर्ती टेप लगाये जाने के संबंध में मुख्यालय स्तर पर मासिक समीक्षा की जाएगी। सभी उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र एवं संभागीय परिवहन अधिकारी अपने स्तर से पाक्षिक समीक्षा करेगें। समीक्षा हेतु संलग्न प्रारूप में सूचना सभी संभागीय परिवहन अधिकारी अपने प्रत्येक उप संभाग के संबंध में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

ञः किसी परावर्ती टेप की गुणवत्ता से सन्तुष्ट न होने पर परिवहन आयुक्त द्वारा टेप निर्माता के व्यय पर उसका सत्यापन प्रोटोटाईप एजेन्सी से करा सकते है और सत्यापन होने तक सम्बन्धित निर्माता द्वारा परावर्ती टेप की आपूर्ती राज्य में निलम्बित रहेगी।

ट. भविष्य मे भारत सरकार द्वारा नियम 104 तत्सम्बन्धी नियमों में कोई किया परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी कम्पनियों जो उत्तराखण्ड राज्य में इस कार्य हेतु अधिकृत है , के द्वारा नई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

15. राज्य में उक्त पंजीकरण/ अनुमोदन प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित परावर्ती टेप ही वाहनों में लगायी जायेगी और ऐसी टेप लगायी जाने के सम्बन्ध में वाहनों के पंजीयन / फिटनेस के समय अभिलेखों में प्रविष्टि सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(एस0 रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उत्तराखण्ड।
2. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी , उत्तराखण्ड।
3. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. परिवहन विभाग की विभागीय वैबसाईट ।

(एस0 रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त

other sec

कार्यालय कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
दूरभाषः 0135—2608105, 2608106, फैक्सः 2608108 ई—मेलःtransportdeptuk@gmail.com